न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या : 05 / 2018

1. लालाराम पुत्र श्री हेमा, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम खपरिया, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
2. नेमीचंद पुत्र श्री जगदीश पुत्र श्री हेमा, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम खपरिया, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।

प्रार्थीगण,

बनाम

1. सागर पुत्र श्री हनुमान, जाति—यादव (अहीर), निवासी—ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला—जयपुर।
2. सुरेश पुत्र श्री हनुमान, जाति—यादव (अहीर), निवासी—ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला—जयपुर।
3. चावली देवी पत्नी श्री हनुमान, जाति—यादव (अहीर), निवासी—ग्राम खपरिया, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् आवंटन आदेश दिनांक उपज़िलाधीश आमेर के पत्रांक राजस्व / 88 / 129—32 दिनाक 21.01.1988 द्वारा ग्राम खपरिया के ख0नं0 289 में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने बाबत्।)

उपस्थितः—

1. श्री वंशीधर जाट, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री प्रवीण चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 3 की ओर से।
3. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 4 की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 22.02.2021**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.05.1986 को आंवन्टन सलाहकार समिति की नियमन की शिफारिश उपरान्त उप जिलाधीश आमेर के पत्रांक राजस्व / 88 / 129—32 दिनाक 21.01.1988 द्वारा ग्राम खपरिया की आराजी खसरा नम्बर 289 रकबा 8 बीघा भूमि हनुमान पुत्र जोधा, जाति अहीर के हक में आवंटन किये जाने से की व्यथीत होकर यह प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत हुआ है ।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किए गए उपखण्ड अधिकारी आमेर से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली कार्यवाही रजिस्टर चाहा गया जिसके संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पत्र क्रमांक आवंटन / 2019 / 1657 दिनांक 08.11.2019 प्रेषित कर अवगत कराया हैं कि कार्यालय मे रिकार्ड तलाश करने पर भी भूल पत्रावली प्राप्त नही हुई है। आवंटन रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रेषित की गई जो शामिल मिसल है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित गत खसरा न. 289 रकबा 8 बीघा किस्म चारागाह जिसके हाल खसरा न. 774 रकबा 0.98 है0, खसरा नं. 777 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 778 रकबा 0.09 है0, खसरा नं. 789 रकबा 0.03 है0 खसरा नं. 772 / 794 रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 773 / 796 रकबा 0.65 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.00 है0 के बाबत राजस्व अभियान ग्राम पंचायत

रामपुरा में दिनांक 13.05.1986 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हुई जिसमें समिति के सदस्यो द्वारा उक्त नम्बरान की चरागाह भूमि के नियमन हेतु श्री हनुमान पुत्र जोधा अहीर निवासी खपरिया के नाम नियमन किये जाने की शिफारिश की जाकर पत्रावली जिला कलक्टर जयपुर को प्रेषित की गई जिसके संदर्भ में जिला कलक्टर जयपुर के पत्र कमाक राजस्व 46/86/15777/780 दिनांक 24.12.1986 की पालना में भूमि की किस्म परिवर्तन की जाकर नामा. संख्या 2 चारागाह से सिवाईचक तस्दीक किया गया एवं दिनांक 27.01.1988 को सिवाईचक से गैरखातेदारी का नामा. संख्या 4 सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया।

आवंटित भूमि पर ख0नं0 772/794 पर प्रार्थी सं0 1 के पिता व प्रार्थी सं0 2 के दादा का कब्जा–काश्त है, जिसके गत ख0नं0 289 है तथा आज भी उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त है। ख0नं0 774 की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर आवंटी हनुमान पुत्र जोधा के अन्य भाई का कब्जा–काश्त है तथा भूमि के उत्तरी दिशा पर भी जोधा के अन्य वारिसान का नियमन व आवंटन के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.05.1986 को किये गये गलत आवंटन की सिफारिश के आधार पर दिनांक 21.01.1988 को गलत आवंटन किया गया है। चरागाह भूमि की किस्म आवंटन हेतु परिवर्तित नही की जा सकती है ना ही किसी व्यक्ति को आवंटन की सिफारिश की जा सकती है। आवंटी भूमिहीन नही था तथा ना ही कब्जा काश्त था, इसके बावजूद भी आवंटी हनुमान पुत्र जोधा को भूमि का आवंटन किया गया है। यदि प्रार्थीगण के पूर्वजों का भूमि पर कब्जा काश्त था तो सर्वप्रथम प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम भूमि आवंटन एवं नियमन की सिफारिश आवंटन कमेटी द्वारा की जानी चाहिए थी। आवंटी हनुमान पुत्र जोधा द्वारा बिना कब्जा काश्त के ही गलत तथ्य पेश कर भूमि आवंटन करवाई गई है। दिनांक 21.01.1988 से वर्तमान तक भी आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नही है, जिसके कारण आवंटित भूमि की खातेदारी आवंटी के नाम नही हो सकी है तथा आवंटी के फौत होने पर उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 3 के नाम भी गलत तरीके से नामान्तरकरण तस्दीक कर गैर–खातेदारी दी गई है। ग्राम खपरिया ग्राम पंचायत अनोपपुरा में स्थित है तथा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में ग्राम पंचायत अनोपपुरा उपस्थित नही थे। यदि हनुमान के पिता जोधा का पूर्व से कब्जा था तो पुराने कब्जे के आधार पर यदि वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण था तो अतिक्रमी को बेदखल किया जाना चाहिए था, बेदखल करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकती थी। यहा यह भी निवेदन है कि आवंटी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश नही किया था। तत्समय आवंटी हनुमान पुत्र जोधा भूमिहीन कृषक नही था। यहां यह उल्लेखनीय है कि 1986 से आवंटित भूमि आज भी गैर–खातेदारी भूमि है। जबकि आवंटन के 9 वर्ष पश्चात् यदि गैर–खातेदारी से खातेदारी नही हो तो ऐसा आवंटन स्वतः निरस्तनीय है। आवंटी द्वारा तथ्यों को छुपाकर विधि विरूद्ध अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन करवाया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चरागाह भूमि के सिवायचक होने पर ही आवंटन का अंकन किया गया है। जबकि जिला कलक्टर स्तर से वर्तमान तक भी भूमि के सेट–अर्पाट के आदेश जारी नही हुई है।

अतः प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चरागाह भूमि के नियमन की सिफारिश की पालना में उप–जिलाधीश, आमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/88/129–32 दिनांक 21.01.1988 बाबत् आवंटन भूमि ख0नं0 289 को निरस्त किया जावें।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता व 3 के पति हनुमान पुत्र जोधा को ख0नं0 772/794 पर प्रार्थी सं0 1 के पिता व प्रार्थी सं0 2 के दादा का कब्जा काश्त नही है ना ही ख0नं0 774 के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर आवंटी हनुमान पुत्र जोधा के अन्य भाई का कब्जा काश्त है। हनुमान पुत्र जोधा को पुराने कब्जे व नियमन की शर्तो की पूर्ति करने के आधार पर ख0नं0 289 में से 8 बीघा भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13.05.1986 को किया गया था तथा आवंटित किये जाने की सिफारिश जिला कलक्टर, जयपुर को

प्रेषित की गई थी। आवंटी हनुमान पुत्र जोधा के भूमिहीन कृषक होने की संतुष्टी उपरान्त ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.05.1986 को भूमि के नियमन की सिफारिश करते हुए मूल पत्रावली जिला कलक्टर को प्रेषित की गई थी। जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक राजस्व 11/आर–6/86/15777/780 दिनांक 24.12.1986 की पालना में ख0नं0 289 रकबा 8 बीघा को चरागाह से सिवायचक दर्ज किया गया तथा दिनांक 21.01.1988 को गैर–खातेदारी दर्ज की गई। इसके पश्चात् नामान्तरकरण सं0 4 हनुमान पुत्र जोधा के नाम तस्दीक किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर हनुमान पुत्र जोधा का पूर्व से कब्जा रहा है तथा वे परिवार सहित मकान बनाकर निवास कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के भूमि संबंधित दस्तावेज वैधानिक होने के कारण ही बैंक द्वारा ऋण दिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा फसल खराब होने पर मुआवजा दिया गया है। तत्समय के रिकार्ड अनुसार आवंटी हनुमान पुत्र जोधा के स्वयं के नाम से कोई भूमि नही थी। उनके पूर्वज का वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 01.01.1970 से पूर्व का कब्जा काश्त था, राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति बनायी गई थी। गठित आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वैधानिक रूप से भूमिहीन होने के कारण तथा वर्ष 1970 से पूर्व का कब्जा काश्त होने के कारण उनके पूर्वज को वैधानिक रूप से नियमन की सिफारिश की गई थी। नियमन की सिफारिश के उपरान्त जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा चरागाह भूमि को सिवायचक करने के पश्चात् तत्कालीन उप–जिलाधीश द्वारा नियमानुसार हनुमान पुत्र जोधा को भूमि का आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक का कथन है कि आवंटन नियमानुसार किया गया है और एक लम्बी अवधि के पश्चात् तकनीकी आधार पर आवंटन को खारिज किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षो की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 15.05.1986 को राजस्व अभियान ग्राम पंचायत रामपुरा में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ग्राम खपरिया पंचायत अनोपपुरा के ख0नं0 289 रकबा 8 बीघा के नियमन हेतु हनुमान पुत्र जोधा अहीर निवासी–खपरिया की सिफारिश की जाकर पत्रावली जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित की जाने की अभिशंषा की गई है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक नियमानुसार विधि अनुरूप आयोजित की गई थी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा परिवर्तनशील जमा निर्धारण तथा अस्थाई कृषि संबंधित सम्वत् 2027 से हनुमान पुत्र जोधा का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा–काश्त रहा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में मात्र सम्वत् 2041 का खसरा परिवर्तनशील पेश किया गया है, जिसमें हेमा, कालू पुत्र नानगा अहीर का कब्जा काश्त था। इसके अलावा पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थी सं0 1 के पिता व प्रार्थी सं0 2 के दादा का कब्जा काश्त रहा हो तथा वर्तमान में भी उनका ही कब्जा काश्त हो। एकमात्र सम्वत् 2041 के खसरा परिवर्तनशील के आधार पर प्रार्थीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त वर्तमान तक माना जाना न्यायौचित नही है। प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा केवल दौराने बहस ही यह कथन किया है कि आवंटी आवंटन के समय भूमिहीन नही था, परन्तु इस संबंध आवंटी द्वारा कोई सुसंगत दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये है। हमारा यह मानना है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर भूमिहीन व्यक्तियों को ही भूमि का आवंटन किया गया था। यदि हनुमान पुत्र जोधा तत्समय भूमिहीन व्यक्ति था तो प्रार्थी को न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने चाहिए थे, जो पेश नही किये गये है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में सिवायचक भूमि का नामान्तरकरण सं0 4 दिनांक 29.03.1993 को हनुमान पुत्र जोधा जाति–अहीर, सा.देह को खसरा नम्बर 289 रकबा 8 बीघा का आवंटन होने से गैर–खातेदारी दर्ज की गई थी। ख0नं0 289 रकबा 8 बीघा भूमि को जिला कलक्टर, जयपुर के पत्रांक राजस्व 11/86/86 1577–780 दिनांक 24.12.1986 के अनुसार गत ख0नं0 289 में से 8 बीघा चरागाह से सिवायचक

दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये थे, जिसकी पालना में भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा नामान्तरकरण सं0 2 ग्राम खपरिया चरागाह भूमि से सिवायचक दर्ज किया गया था तथा उक्त सिवायचक भूमि को नामान्तरकरण सं0 4 द्वारा हनुमान पुत्र जोधा को गैर–खातेदारी दी गई थी। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा हनुमान पुत्र जोधा द्वारा पूर्व से काबिज काश्त भूमि को ही नियमन/आवंटन की विधि अनुरूप सिफारिश किये जाने पर चरागाह भूमि से सिवायचक भूमि की किस्म परिवर्तन करने के उपरान्त ही नियमानुसार ही हनुमान पुत्र जोधा को भूमि आवंटन की गई है।

उक्त विवेचनानुसार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज हनुमान पुत्र जोधा के कब्जा काश्त के आधार पर एवं भूमिहीन कृषक की श्रेणी में होने के कारण ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वैधानिक रूप से नियमानुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम खपरिया की ख0नं0 289 रकबा 8 बीघा भूमि नियमन की सिफारिश की गई है जिसके आधार पर तत्कालीन उप–जिलाधीश, आमेर द्वारा नियमानुसार वादग्रस्त भूमि का आवंटन हनुमान पुत्र जोधा को किया गया है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

22.2.21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर